**Unemployed persons in Gujarat**

6817. SHRI ANANTRAY DEV-SHANKER DAVE:

SHRI CHIMANBHAI HARI-BHAI SHUKLA:

Will the Minister of LABOUR be pleased to refer to the answer to Unstarred Question No. 925 given in the Rajya Sabha on the 20th March, 1995 and state:

(a) what is the actual number of jobs created and the target fixed in Eighth Plan in Government P.S.Us and private sector in the State of Gujarat;

(b) what is the average rate of growth of employment during the above period; and

(c) what will be the backlog of unemploment in the State as on March 1995?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) As per the estimate of Government of Gujarat, the employment generation in the Eighth Five Year Plan will be 47.83 lakhs standard person year in public, private, and public sector undertaking. Out of this 33.60 lakhs jobs were created (estimated 70 percent) during 1992-93, 1993-94 and 1994-95

(b) Emploment generation growth from 1992 to 1995 was 8.5 percent.

(c) Upto December 1994 the back-log of unemployment is about 14 lakhs (estimated).

**उद्योगों का बन्द होना**

6818. **श्री ईश दत्त यादव :**
**श्री आस मोहम्मद :**

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई औद्योगिक नीति अपनाने के बाद कितने उद्योग बन्द हुए हैं ;

(ख) इस अवधि के दौरान बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा अधिगृहित उद्योगों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ऐसे मामलो में प्रभावित श्रमिकों के हितों की रक्षा किस प्रकार की गई है ?

**श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा):** (क) उद्योगों के बंदों संबंधी उपबंध औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में समाविष्ट हैं। श्रम ब्यूरो से उपलब्ध सूचना के अनुसार 1991, 1992, 1993 और 1994 (जन० से नव०) के दौरान बंद हुए एक्कों की संख्या क्रमशः 238, 187, 493 और 198 है। तथापि, इन बंदियों का कारण नई औद्योगिक नीति को नहीं ठहराया जा सकता है।

(ख) श्रम मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई सूचना नहीं रखी जाती है।

(ग) औद्योगिक विवाद अधिनियम में छटनी/बंदी की हालत में कर्मकारों के लिए मुआवजे के भुगतान करने का प्रावधान है। एक्कों/कम्पनियों के विलयन के लिए जब भी प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तो श्रम मंत्रालय इस बात पर जोर देता है कि कर्मकारों के नियोजन की दशाओं पर ऐसे विलयन/समामेलन की हालत में विपरीत प्रभाव न पड़े।

**Cases pending before Labours Courts**

6819. DR RANBIR SINGH:

SHRI RAM NATH KOVIND:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a large number of cases are pending before the various labour courts of the country as on date; and

(b) if so, what is the number of cases pending before the Labour court of Delhi as on date?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) Yes, Sir.

(b) According to available information, 19,170 industrial disputes and 17,926 applications were pending as on 31-3-95 with the various Industrial Tribunals|Labour Courts set up by the Government of National Capital Territory of Delhi. The corresponding figures in respect of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court at New Delhi are 699 industrial disputes and 1334 applications.

**उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत पंजीकृत भर्ती एजेन्ट**

6820. **चौधरी हरमोहन सिंह :**
**श्री आस मोहम्मद :**
**श्री के० रहमान खान**

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्प्रवास अधिनियम 1983 के अन्तर्गत 31 मार्च, 1995 तक पंजीकृत भर्ती एजन्टों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है ;

(ख) एजन्टों द्वारा दिए गए विवरणों के अनुसार वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान एजन्टों द्वारा कितने व्यक्तियों की भर्ती की गई ;

(ग) की गई भर्ती का देश-वार ब्यौरा क्या है ; और

(घ) 1992-93 से आज तक नियमों के उल्लंघन के लिए कितने एजन्टों के लाइसेंस रद्द किए गए ?

**श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) :** (क) 31 मार्च, 1995 तक उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत पंजीकृत भर्ती एजेन्टों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण-I **(नीचे देखिए)** संलग्न है।

(ख) और (ग) उत्प्रवास अनुमतियों और उत्प्रवास जांच अपेक्षित नहीं (ई० सी० एन० आर०) पृष्ठांकनों संबंधी सांख्यिकीय आंकड़े कलैण्डर वर्ष के आधार पर रखे जाते हैं। वर्ष 1992, 1993 और 1994 के दौरान जारी की गयी राज्य वार उत्प्रवास अनुमतियों/उ० जां० अ० नहीं पृष्ठांकनों को दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है । **(नीचे देखिए)**

(घ) 1992-93 से अब तक की अवधि के दौरान कोई पंजीकरण प्रमाण पत्र निरस्त नहीं किया गया है।

**विवरण-I**

**31 मार्च 1995 तक उत्प्रवास अधिनिगम, 1983 के अंतर्गत पंजीकृत भर्ती एजेंटों की संख्या :**

| राज्य | भर्ती एजन्टों की संख्या |
|---|---|
| महाराष्ट्र | 1369 |
| दिल्ली | 531 |
| तमिलनाडु | 142 |
| केरल | 141 |
| पंजाब | 83 |
| आंध्र प्रदेश | 54 |
| चंडीगढ़ | 47 |
| उत्तर प्रदेश | 37 |
| कर्नाटक | 31 |
| राजस्थान | 27 |
| हरियाणा | 13 |
| गोवा | 11 |
| गुजरात | 11 |
| पश्चिम बंगाल | 9 |
| उड़ीसा | 5 |
| जम्मू एंम कश्मीर | 5 |
| मध्य प्रदेश | 4 |
| बिहार | 3 |
| हिमाचल प्रदेश | 2 |
| असम | 1 |
| कुल : | 2526 |